न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 701 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 740 / 2024

---

विकाश कुमार, पिता जयराम पासवान, उम्र करीब 20 वर्ष
साकिन–बिचली मलाही, थाना–बाढ़, जिला–पटना..... आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामकुमार सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

---

आदेश

03.08.2026 आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 740 / 2024, अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है और उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नही हुआ है। लंबे अंतराल के बाद पुलिस द्वारा एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया था और इसी पर आवेदक अभियुक्त को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आवेदक अभियुक्त पर विशिष्ट आरोप नही है। सूचक इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है तथा शत्रुतावश आवेदक को इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं।

इस वाद के सूचक अमित कुमार सिंह है, जिसने अपना लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बाढ़ को दिया है। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि विगत 3 वर्ष से कचहरी ए0एस0पी0 ऑफिस के सामने ज्ञानशीला एकेडमी निजी विद्यालय का संचालन करते है। दिनांक 05.10.2024 को शनिवार को कलेक्शन का सारा पैसा करीब 1 लाख 40 हजार रूपया लेकर आया और कार्यालय के ड्रावर में रखकर घर चला गया था। दिनांक 06.10.2024 रविवार को 9 बजे सुबह विद्यालय पहुंचा तो देखा कि पीछे का दरवाजा का ताला टुटा हुआ है तथा ड्रावर से सारा पैसा निकाल लिया गया है तथा सारा कागजात बिखड़ा पड़ा हुआ है। इनके कार्यालय में लगा 55 इंच का टी.वी. भी चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त पर सूचक

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :— वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 701/2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 740/2024

---

लगातार
03.08.2026 के कार्यालय से 1 लाख 40 हजार रुपया तथा टीवी इत्यादी चोरी कर लेने का आरोप है। कांड दैनिकी प्राप्त है। कांड दैनिकी के पारा—02 में वादी का पुनः बयान, पारा—06 नवदीप कुमार, पारा—07 में साक्षी सतीश महतो, पारा—08 में साक्षी गुंजन देवी का बयान अंकित किया गया है। सभी साक्षियों ने घटना का पूर्णतः समर्थन किये है। जमानत आवेदन के पारा—3 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कुल—3 आपराधिक मामले लंबित है, परन्तु सभी मामले में जमानत पर हैं। पारा—42 में अभियुक्त उपेन्द्र कुमार का अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित किया गया है तथा इस कांड में सहयोगी के रुप में अमन कुमार, सब्बी कुमार, सौरभ कुमार, रणधीर कुमार, सन्नी कुमार का नाम बतलाया है। पारा—59 में सह अभियुक्त उपेन्द्र कुमार एवं अमन कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है और उपेन्द्र कुमार को माननीय उच्च न्यायालय के कि0 मि0 नं0 61847/25 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा और सन्नी कुमार को नियमित जमानत आवेदन 706/2025 दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय द्वारा जमानत दिया गया है। पूरक कांड दैनिकी के पारा—84 में आवेदक अभियुक्त का 4 आपराधिक इतिहास अंकित किया गया है। सभी मामला चोरी का है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अन्य सभी सह अभियुक्तों को आरोप गठन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एवं कुछ को इस न्यायालय के द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को इस स्थल पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो नियमित जमानत हेतू आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ